उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड।

तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग, लखनऊ ।

संख्या:पीआरपीबी:अनु–6–प–1/2015(पार्टफाइल) दिनांक:नवम्बर 29 ,2016

आदेश

रिट याचिका संख्या 37599/2015 आशीष कुमार पाण्डेय व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 29 अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16–03–2016 के अनुपालन में बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी:अनु–6–प–1/2015 दिनांक: 25 जून, 2015 के द्वारा खुली प्रतियोगिता श्रेणी में विशेष श्रेणी जैसे महिला, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित सभी समायोजित अभ्यर्थियों को उनकी सम्बन्धित सामाजिक श्रेणियों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जिससे वे सम्बन्धित है, में स्थानान्तरित और समायोजित करते हुए मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा नये सिरे से किये गये चयन में उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के भूतपूर्व सैनिक के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 84, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 41, अनुसूचित जाति श्रेणी में 39 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 04 कुल–168 तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 21, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शून्य, अनुसूचित जाति श्रेणी में 15 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 01 कुल–37 पद अग्रेनीत किये गये है।

2– इसी प्रकार उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के भूतपूर्व सैनिक के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 08, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 04, अनुसूचित जाति श्रेणी में 03 कुल–15 तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 03, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 02, अनुसूचित जाति श्रेणी में 01 कुल–06 पद अग्रेनीत किये गये है।

3– इस प्रसंग में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 तथा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2008 के नियम–14 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को अवधारित करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना), उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी–चार–106 (266) 2006 दिनांकित 18–05–2010 के द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 एवं पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी–चार–110 (327) 2009 दिनांकित 25–10–2010 के द्वारा प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों को भरे जाने हेतु प्राप्त अधियाचन के आधार पर बोर्ड द्वारा सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी–एक–1/2011 दिनांकित 19–05–2011 प्रकाशित कर चयन की यह कार्यवाही सम्पन्न की गयी है।

4– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 तथा प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों के इन अधियाचनों में भूतपूर्व सैनिक के 05 प्रतिशत और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के 02 प्रतिशत भरे जाने वाले पदों के दो चयन वर्षो के पश्चात का होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

5— अतः उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 **की धारा–3 की उपधारा–(5)** के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी की विभिन्न श्रेणियों मे अनभरी रिक्तियों को आगामी **दो चयन वर्षो** के लिए अग्रेनीत किया गया है, उसके पश्चात यह रिक्तियां व्यपगत मानी जायेगी।

6— यह आदेश रिट याचिका संख्याः 49778/2015 आलोक कुमार सिंह व 02 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के अधीन है।

29/11/2016

(आलोक प्रसाद)
अध्यक्ष,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः—पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।